संख्या-33/2022/393/18-2-2022/18-2099/116(ल0उ0)/2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 28 सितम्बर, 2022

विषय :- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 का प्रख्यापन।

महोदय,

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र के पश्चात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक रोज़गार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में देश में सबसे अधिक एम.एस.एम.ई. इकाईयां प्रदेश में विद्यमान हैं। निर्यात के क्षेत्र में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से एक वृहद् प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कुल 17.06 लाख करोड़ (2020-21) रूपये की अनुमानित जी०डी०पी० के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रदेश की जी०डी०पी० में कृषि (प्राथमिक क्षेत्र), विनिर्माण (द्वितीयक क्षेत्र) एवं सेवा (तृतीयक क्षेत्र) क्षेत्र का योगदान क्रमशः 27.46%, 23.63% एवं 48.91% है।

COVID-19 से उत्पन्न महामारी के दौरान प्रदेश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस असाधारण समय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को असाधारण कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे न केवल प्रदेश अपनी पूर्व आर्थिक विकास गति को प्राप्त कर सके अपितु महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति एवं परिणामस्वरुप निवेश की नई सम्भावनाओं का प्रदेश को लाभ प्राप्त हो सके। इस

महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों एवं कठिनाईयों के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियाँ भारत में निवेश करना चाहती हैं, ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रदेश अपने-आप को एक attractive investment destination के रूप में तैयार करे, जिससे कि अधिक से अधिक पूंजी निवेश प्रदेश में हो सके एवं रोज़गार की नई सम्भावनाएं सृजित हो सके। इसके अतिरिक्त, कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति को नए कलेवर में लाने की महती आवश्यकता है।

बदले परिवेश में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को विकास के नए स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है जिसमें टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी स्थिति का आंकलन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.06.2020 को निर्गत नोटीफिकेशन के माध्यम से "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा में निम्नवत बदलाव किये गए हैं :-

(i) a micro enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;

(ii) a small enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and the turnover does not exceed fifty crore rupees;

(iii) a medium enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed fifty crore rupees and the turnover does not exceed two hundred and fifty crore rupees.

उक्त के दृष्टिगत एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 निम्नवत प्रख्यापित की जाती है:-

वर्तमान प्रचलित नीति में एम0एस0एम0ई0 को प्रदान किये जाने वाले लाभ इकाइयों द्वारा भुगतान किये गये नेट एस0जी0एस0टी0 के आधार पर देय हैं। इस व्यवस्था के कारण अधिकतर सूक्ष्म इकाईयां एवं निर्यातपरक एम0एस0एम0ई0 इकाईयां इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकी। अतः वर्तमान नीति में एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को दिये जाने वाले लाभों को नेट एस0जी0एस0टी0 से डी-लिन्क किया जायेगा।

2. विज़न

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की अधिकाधिक नवीन इकाइयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश को पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, परिणामस्वरुप 15% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना।
- नवीन इकाइयों में अधिकाधिक रोजगार सृजन तथा पूर्व से स्थापित इकाइयों में विस्तार एवं उन्नयन से रोजगार में 15% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना।
- उद्यमिता, रोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय के मानकों पर क्षेत्रीय असमानताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य व्याप्त असमानताओं को कम करने का प्रयास करना।
- पूर्व से स्थापित इकाइयों के उन्नयन एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उत्कृष्ट आधुनिक तकनीकी युक्त संवेदनशील प्रशासकीय व्यवस्था करना।

3. रणनीति

उक्त विजन को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार निम्न रणनीति के अनुरूप कार्य योजना का निर्माण करेगी:-

- वर्तमान में विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन के लिये संसाधनों को उपलब्ध कराना, अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना एवं निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता करना।
- नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए भूमि/स्थान की उपलब्धता सुलभ बनाना, नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना तथा विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन।
- सुगमता एवं सहजता के साथ व्यापार करने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना।
- पर्यावरण संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई तथा समावेशी विकास।
- क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का समाधान करने की दिशा में बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में उद्यमों की स्थापना एवं उन्नयन को विशेष प्रोत्साहन देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देना।

- निवेश के आकर्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता के विकास के लिए तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हुए प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों की पहचान बढ़ाना तथा इस क्रम में उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने हेतु यथासंभव नीति बनाना|
- मुद्रा, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, मेक इन इंडिया एवं भारत सरकार के अन्य मिशन मोड़ कार्यक्रमों एवं योजनाओं से समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं का निर्माण करना।

4. परिभाषाएँ

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - जैसा कि एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम 2006 व उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों को परिभाषित किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभ विनिर्माण व सेवा क्षेत्र दोनों प्रकार की इकाइयों को देय होगा। सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) के अन्तर्गत विनिर्माण सम्बन्धित सेवाओं (मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज) को ही लिया जायेगा। उदाहरण के तौर पर कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), कॉमन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी), रिसर्च एवं डिजाइन सर्विसेज आदि को एम.एस.एम.ई. नीति के अन्तर्गत लिया जायेगा।

स्थायी पूंजी निवेश - एम0एस0एम0ई0 इकाइयों द्वारा भवन, संयंत्र, मशीनरी, यूटिलिटीज, उपकरण और इस तरह की अन्य परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश, जो निवेश अवधि (इलिजिबल इन्वेस्टमेंट पीरियड) के दौरान अंतिम उत्पाद (इण्ड प्रोडक्ट) निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार किया गया है, निम्न विवरण के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश की गणना के लिए विचार किया जाएगा :-

भूमि	भूमि विनिर्माण इकाई हेतु कुल स्थायी पूंजीनिवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत पूंजीनिवेश भूमि घटक के रूप में रखा जायेगा, जिसका उद्देश्य इकाई के स्थायी पूंजीनिवेश की गणना मात्र के लिए ही है। भूमि की लागत पर निवेश प्रोत्साहन सहायता देय नहीं होगी। भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य को भूमि की लागत के रूप में माना जायेगा, जिसमें स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान सम्मिलित नहीं होगा। राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार की अन्य संस्था द्वारा भूमि क्रय करने पर वास्तविक आवंटन मूल्य

	(पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क को छोड़कर) को भूमि की लागत माना जायेगा।
भवन	भवन का तात्पर्य परियोजना के लिए निर्मित एक नया भवन, जिसमें प्रशासनिक भवन भी शामिल है। विनिर्माण हेतु कुल स्थायी पूंजीनिवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत पूंजीनिवेश भवन घटक के रूप में रखा जायेगा। निम्नलिखित नए भवनों पर किये गए आवश्यक एवं वास्तविक व्यय की गणना परियोजना लागत में की जाएगी :- • संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के लिए बनाया गया भवन, • अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) गतिविधियों के लिए बनाया गया भवन, • इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं (टेस्टिंग फैसिलिटीज) के लिए बनाया गया भवन, • भंडारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए बनाए गए भवन,
अन्य निर्माण	"अन्य निर्माण" में सम्मिलित मद:- • दीवार और गेट, • सुरक्षा केबिन • आंतरिक सड़क, • बोरवेल, • पानी की टंकी, • पानी और गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क और अन्य संबंधित निर्माण • अग्नि शमन व्यवस्था • आकस्मिक चिकित्सा कक्ष व उपकरण • विद्युत कक्ष

प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण (कार्यशाला एवं संयंत्र)	प्लांट और मशीनरी से तात्पर्य नए प्लांट और मशीनरी, यूटिलिटीज, डाइज और मोल्ड्स और ऐसे अन्य उपकरणों से है, जो उत्पाद के निर्माण में सहायक होते हैं। परियोजना लागत में प्लांट और मशीनरी को स्थापित करने एवं विद्युतीकरण करने का व्यय भी सम्मिलित होगा। विद्युतीकरण लागत में उप-स्टेशन और ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। प्लांट और मशीनरी में निम्नलिखित व्यय को भी सम्मिलित किया जा सकता है :- • गैर-पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र ; • केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और मैटिरियल हैंण्डलिंग इक्विप्मेंट, जो माल परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं, • बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव पॉवर प्लान्ट, गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट को प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी विचारित किया जायेगा जब इनसे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये ही किया जाये। • पानी की शुद्धि के लिए संयंत्र, • प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिए संयंत्र, जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट, अपशिष्ट / उत्सर्जन या ठोस / गैसीय खतरनाक कचरे के निपटाने की सुविधा सम्मिलित है; • डीजल जेनरेटर सेट्स और बॉयलर

5. महत्वपूर्ण कदम

5.1 अवस्थापना विकास

5.1.1 उद्यमी द्वारा उद्योग विभाग के आस्थानों के अन्तर्गत भूखंड के आवंटन के उपरांत किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में उद्यम की स्थापना नहीं करने पर भूखंड को विभाग में समर्पण और जमा धनराशि की वापसी की नीति को तर्कसंगत बनाया जायेगा, जिससे यह रिक्त भूमि नये उद्यमियों को बिना किसी विवाद के आवंटित की जा सके।

5.1.2 विभाग के औद्योगिक आस्थानों में भूखंड आवंटन एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के लिए पूर्णरूपेण ऑन-लाइन किया जाएगा| जिन भूखंडों का औद्योगिक प्रयोग नहीं हो रहा है उनको निरस्त कर नए पात्र उद्यमियों को आवंटित किया जाएगा।

5.1.3 ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु ग्रामसभा की उपलब्ध भूमि को लघु औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए ग्राम सभाओं की 5 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि चिन्हित कर उद्योग निदेशालय को पुनर्गृहीत कर नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। ग्राम सभा की भूमि एम0एस0एम0ई0 विभाग को राजस्व विभाग की प्रचलित व्यवस्थाओं के अधीन उपलब्ध करायी जाएगी। इस भूमि पर भूखंडों का विकास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की मांग के अनुरूप उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार से विकसित किये गए लघु औद्योगिक आस्थानों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भूमि आवंटन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर किया जायेगा।

5.1.4 जिस ग्राम की भूमि पुनर्गृहीत की जाएगी, उस ग्राम से संबंधित विकासखंड के उद्यमियों को संबंधित औद्योगिक आस्थानों में उद्यमों की स्थापना के लिए प्राथमिकता पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

5.1.5 आगरा - लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे तथा प्रदेश में विकसित किए जा रहे अन्य एक्सप्रेसवे/ कॉरीडोर्स में 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत ग्रामसभा की 5 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि एक स्थान पर उपलब्ध होने पर उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को लघु औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए यह भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम सभा की भूमि एम0एस0एम0ई0 विभाग को राजस्व विभाग की प्रचलित व्यवस्थाओं के अधीन उपलब्ध करायी जाएगी। इस प्रकार से विकसित किये गए लघु औद्योगिक आस्थानों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भूमि आवंटन जिलाधिकारी/सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर किया जायेगा।

5.1.6 प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा 10 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के एम०एस०एम०ई० पार्क / औद्योगिक एस्टेट / फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स (फ्लैटैड फैक्ट्री हेतु भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 4000 वर्गमी0 होगी) स्थापित किये जायेंगे। निजी क्षेत्र के द्वारा इस प्रकार विकसित एम0एस0एम0ई पार्क / औद्योगिक एस्टेट / फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स में कम से कम 10 इकाईयों को भूखण्ड / स्थान दिया जायेगा। एम०एस०एम०ई० पार्क / औद्योगिक एस्टेट / फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स से आशय ऐसे औद्योगिक आस्थानों से है जहां कम से कम 75

प्रतिशत बिक्री योग्य स्थान एम०एस०एम०ई० इकाइयों के लिए आरक्षित हो, की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे :-

5.1.6.1 स्वीकृत परियोजना लागत हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज का 50% तक (अधिकतम रु०2 करोड़ प्रति वर्ष) प्रति एम०एस०एम०ई० पार्क/ औद्योगिक एस्टेट/ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत में भूमि क्रय लागत, अवस्थापना विकास लागत, श्रमिक आवास (हॉस्टल/ डारमैट्री) निर्माण लागत आदि सम्मिलित की जा सकती हैं।

5.1.6.2 विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

5.1.7 प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स को प्रोसाहित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति इस संबंध में समस्त आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी।

5.1.8 पी.पी.पी. के आधार पर प्रदेश में औद्योगिक आस्थान विकसित किये जायेंगे। उ0प्र0 लघु उद्योग निगम इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी होगी, जो अपने बोर्ड के माध्यम से भागीदारी के आधार पर निजी विकासकर्ताओं की भूमि पर औद्योगिक आस्थान विकसित करेगी ।

5.1.9 प्रदेश में पी.पी.पी. के आधार पर एम.एस.एम.ई. पार्क भी स्थापित किये जायेंगे।

5.1.10 प्रदेश में विकसित किये जाने वाले 50 एकड़ अथवा उससे अधिक के नए एम०एस०एम०ई० पार्क/ औद्योगिक एस्टेट, एकीकृत औद्योगिक पार्क/ एस्टेट की तरह विकसित किये जायेंगे, जहाँ विकसित औद्योगिक भूखंडों/ पूर्व निर्मित प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी के अतिरिक्त आवासीय, व्यावसायिक, सामाजिक एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध होंगी। आवासीय, व्यावसायिक, सामाजिक एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिए औद्योगिक पार्क/ एस्टेट का अधिकतम 20% क्षेत्र आरक्षित करना अनिवार्य होगा।

5.1.11 प्रदेश में विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा रख-रखाव के लिए उस आस्थान के उद्यमियों के सहयोग से एस0पी0वी0 का गठन किया जाएगा तथा इस एस.पी.वी में उद्यमियों की सहभागिता के समानुपात में प्रदेश सरकार द्वारा योगदान किया जाएगा। सरकार द्वारा योगदान केवल एक बार (प्रथम बार) ही किया जाएगा।

5.1.12 आवश्यकतानुसार औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एफ्लुऐन्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट, कामन एफ्लुऐन्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट तथा सामान्य सुविधा केन्द्र (कॉमन फैसिलिटी सेन्टर) लगाने हेतु विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.1.13 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में अवस्थापना निवेश के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के सभी सम्भव प्रयास (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं अन्य उपलब्ध नए मॉडल) अपनाए जायेंगे।

5.1.14 नगर निगमों द्वारा औद्योगिक इकाइयों से लिए जा रहे हाउस टैक्स सम्बन्धी नीति को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

5.1.15 औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगमों को हस्तांरित करने हेतु नीति बनायी जाएगी।

5.1.16 शहर के मध्य में आ गए औद्योगिक आस्थानों में सेवा क्षेत्र एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा एवं इस हेतु यथावश्यक कार्यवाही की जाएगी।

5.2 व्यापार करने में सुगमता, अनुकूल वातावरण का सृजन एवं संवेदनशील प्रशासन

5.2.1 सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों व संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में तकनीकी रूप से सक्षम तथा संवेदनशील प्रशासनिक मशीनरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। कार्मिकों की तकनीकी क्षमता का विकास एवं उद्योग अनुकूल वातावरण (कन्ड्यूसिव इण्डस्ट्रियल इनवायरमेंट) हेतु अपेक्षित संवेदनशीलता का प्रवाह किया जाएगा। राज्य सरकार जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों को आधुनिकीकृत करेगी, जिससे की परामर्श देने हेतु सक्षम हेल्पडेस्क, परियोजना निर्माण आदि कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सके। इस हेतु यथा सम्भव विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी। इसके लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों के संरचनात्मक ढांचे में सुधार किया जाएगा, उन्हें उच्च गति इंटरनेट/ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा एवं वीडियो कांन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ईआरपी/विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन/समस्या/सुझाव को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं उस पर की जा रही कार्यवाही का निरंतर ऑन-लाइन पर्यवेक्षण किया जाएगा। विभाग की समस्त योजनाएं ऑन-लाइन की जायेंगी।

5.2.2 नीति के विज़न को साकार करने के लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों में एक "निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ" (इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल) भी विकसित किया जाएगा जिसके द्वारा सलाहकार एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य सम्पादित किया जाएगा। इस हेतु वांछित सभी संसाधन और उपकरण जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को प्रदान किये जायेंगे।

5.2.3 उद्यम प्रोत्साहन एवं इन्वेस्टर फैसिलिटेशन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है। जहां उद्यम प्रोत्साहन के लिए प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना नितांत आवश्यक है वहीं इन्वेस्टर फैसिलिटेशन हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों को सक्षम बनाने के लिए समुचित मानव संसाधन भी आवश्यक है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार एक योजना/कार्यक्रम लाएगी जहां जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की मानव संसाधन की आवश्यकता कॉलेजों (तकनीकी संस्थान, प्रबंध संस्थान सहित) के अध्ययनरत / उत्तीर्ण छात्रों द्वारा internship के माध्यम से पूरी की जाएगी। Internship के समय छात्र स्वयं भी उद्यम प्रारम्भ एवं संचालित करने की प्रक्रिया से परिचित होंगे। परिणामस्वरूप, छात्रों के लिए यह internship एक व्यावहारिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) की तरह होगा एवं इस प्रकार जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र भविष्य के उद्यमियों के लिए एक नर्सरी के रूप में उभरेगा।

5.3 वित्तीय सहायता

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं अन्य प्रदेशों के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार छूट, अनुदान एवं वित्तीय सहायताएं प्रदान करेगी:-

5.3.1 जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों तथा स्वरोजगार हेतु उत्सुक युवाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो सके और उनका बैंकों से वित पोषण सुगम हो सके।

5.3.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 2.00 करोड तक के कोलेटरल फ्री ऋण हेतु बैंकों द्वारा क्रेडिट गारन्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज हेतु लिए जाने वाले वन टाइम गारन्टी फीस का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5.3.3 प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क से छूट निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:-

5.3.3.1 पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत,

5.3.3.2 मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद को छोड़ कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत,

5.3.3.3 गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद में 50 प्रतिशत,

5.3.3.4 महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं भी उद्यम स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से छूट दी जाएगी।

5.3.4 पदेश में स्थापित होने वाले नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निवेश प्रोत्साहन सहायता (Investment Promotion Assistance i.e. IPA) पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy) निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:-

इकाई प्रकार → **क्षेत्र**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**
बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल	25%	20%	15%
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल	20%	15%	10%

5.3.4.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता इकाई द्वारा प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा तत्संबंधी भवन पर किये गये निवेश पर देय होगी। भूमि की लागत पर निवेश प्रोत्साहन सहायता देय नहीं होगी। यह सहायता पात्र इकाइयों को दो समान किश्तों में दी जायेगी। प्रथम किश्त परियोजना में आंशिक प्रगति यथा- भवन निर्माण हो जाने पर दी जायेगी तथा अवशेष द्वितीय किश्त इकाई द्वारा अपनी क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर दी जायेगी।

5.3.4.2 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी।

5.3.4.3 निवेश प्रोत्साहन सहायता की कुल अधिकतम सीमा रू० 4.00 करोड़ प्रति इकाई होगी।

5.3.5 प्रदेश में स्थापित होने वाले नये सूक्ष्म उद्योग हेतु पूंजीगत ब्याज उपादान के सम्बन्ध में ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 25 लाख प्रति इकाई 5 वर्षों के लिए दिया जायेगा।

5.3.5.1 उक्त उपादान वार्षिक आधार पर दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार उपादान प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा ब्याज का पूर्ण भुगतान करने के उपरान्त अनुदान का क्लेम दिया जाएगा।

5.3.5.2 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 10 प्रतिशत अधिक अर्थात 60 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रदान किया जायेगा।

5.3.5.3 नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाइयों से है जो या तो स्वामित्व श्रेणी की इकाई हैं अथवा जिनमें इस श्रेणी के उद्यमियों की अंशपूंजी न्यूनतम 51 प्रतिशत है।

5.3.5.4 पूंजीगत उपादान एवं पूंजीगत ब्याज उपादान के रूप में लाभ की गणना करते समय 'भूमि' की लागत को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

5.3.6 स्टॉक एक्सचेंज्स के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार द्वारा इस कार्य हेतु फैसिलिटेशन एजेंसी नामित की जाएगी। इस हेतु स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने पर किए गए खर्च की 20% (अधिकतम 05 लाख रूपये) तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.3.7 रू0 5 करोड़ अथवा इससे अधिक की मशीनरी एवं संयंत्र वाली सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की खरीद पर 5 वर्ष के लिये मण्डी शुल्क से छूट की व्यवस्था मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17-क(1)(क) तथा मण्डी नियमावली, 1965 के नियम - 137 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगी।

5.3.8 उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत उद्यमों को प्रदान की जाने वाली कुल वित्तीय सहायता, उनके द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश तक सीमित होगी।

5.4 क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण

5.4.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सभी नई औद्योगिक इकाइयों को इकाई प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक नियोक्ता के EPF के शत प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा की जायेगी।

5.4.2 विभाग के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित उद्यमिता विकास संस्थान विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में case study based व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत होगा। उद्यमिता विकास संस्थान विभिन्न विभागों और संस्थानों के साथ समन्वय कर युवाओं में उद्यमिता के विकास के लिए

नये पाठ्यक्रम चलाएगा एवं अपनी विशेषज्ञता का लाभ उद्यमिता विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए से अधिकारिक संस्थान होगा।

5.4.3 इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर को एक तकनीकी और एक प्रबंध संस्थान से जोड़ा जाएगा जो कि उस एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर को क्रमशः तकनीकी और व्यावसायिक परामर्श प्रदान करेगा। ऐसे संस्थान अपने यहाँ क्लस्टर सम्बन्धी मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगें जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। तकनीकी और प्रबंध संस्थानों का चयन उनकी गुणवत्ता एवं एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर से उनकी दूरी के आधार पर किया जाएगा। इस आशय हेतु स्थानीय स्तर पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र प्रथम सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य सम्पादित करेगा।

5.4.4 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के कौशल विकास पर विशेष बल देते हुए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.4.5 राज्य के सभी जिलों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ इस उद्देश्य के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

5.4.6 विनिर्माण, डिजाईन, पैकेजिंग और विपणन में आधुनिक तकनीक पर कारीगरों एवं युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में काम कर रहे ख्यातिप्राप्त सरकारी / गैर सरकारी संगठनों को सम्बद्ध किया जाएगा। डिजाईन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन, लखनऊ को सक्षम एवं सुदृढ़ किया जाएगा।

5.4.7 उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधीन विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों की समीक्षा कर उपयोगी प्रशिक्षण केंद्रों को क्रियाशील बनाया जाएगा।

5.5 गुणवत्ता तथा मानक

5.5.1 तकनीक के क्षेत्र में निरंतर हो रहे द्रुत विकास एवं पर्यावरण तथा तकनीकी मानकों के प्रति वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे उच्चीकृत मानकों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उन्नयन एवं परीक्षण सम्बंधी आधारभूत अवस्थापना पर किया जाने वाला निवेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। अतः उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं एवं मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.5.2 प्रदेश सरकार की वर्तमान तकनीकी उन्नयन योजना को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित/upgrade किया जाएगा एवं योजना का लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तक

पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार के कदम उठाये जायेंगें, जिससे महत्तम ढंग से उच्चीकृत तकनीक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे- उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा-दक्षता, गुणात्मक-पैकेजिंग, परीक्षण-सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता-नियंत्रण आदि में बढ़ावा मिले। इस हेतु उद्यमियों को उनके द्वारा इन उद्देश्यों के लिए वित्त पोषित परियोजनाओं पर पूंजी एवं ब्याज उपादान सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

5.5.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गुणात्मक उत्पादों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न गुणवत्ता मानकों को प्राप्त कर सकें, जैसे कि - Zero Effect Zero Defect (ZED), WHO - GMP, Hallmark तथा अन्य राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्स (BIS) अथवा NABCB (QCI) द्वारा समर्थित (endorsed) या प्रत्यापित (accredited) हों। इस हेतु यह नीति वित्तीय प्रोत्साहन लागत प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान करेगी, जो कि निम्नानुसार होगी:-

घटक	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम	
	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रूपये में)	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रुपये में)	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रुपये में)
प्रमाणीकरण या अनुमोदन की लागत, प्रमाणीकरण या अनुमोदन के लिए आवश्यक तृतीय पक्ष परीक्षण की लागत,	75%	5.00	50%	5.00	25%	5.00
परीक्षण उपकरण के अधिग्रहण की लागत और अंशान्कन (calibration) लागत सहित प्रयोगशालाओं की स्थापना	75%	5.00	50%	5.00	25%	5.00
आईटी सिस्टम के अधिग्रहण की लागत	75%	2.00	50%	2.00	25%	2.00

एक कर्मचारी के लिए अनिवार्य पेशेवर प्रशिक्षण और योग्यता आवश्यकता की लागत	75%	0.50	50%	0.50	25%	0.50

5.5.4 ऐसे एम०एस०एम०ई० उत्पाद जिनके गुणवत्ता मानक अभी निर्धारित नहीं है, उनके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडडर्स (BIS) तथा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के साथ समन्वय करते हुए मानक विकसित किये जायेंगे जिससे कि इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके।

5.5.5 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट एवं भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (GI Registration) हेतु प्रपत्र दाखिल करने में आने वाली लागत की 75% (अधिकतम 10 लाख रूपये) प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रोसेस पेटेंट भी इस वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। पेटेंट/भौगोलिक संकेतक दाखिल करने में आने वाले अटॉर्नी शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति 50,000 रूपये (राष्ट्रीय आवेदन) अथवा 2,00,000 रूपये (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन) होगी। यह सहायता पेटेंट अथवा भौगोलिक संकेतक टैग मिलने के बाद ही प्रदान की जाएगी।

5.5.6 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को Enterprise Resource Planning (ERP) सिस्टम तथा अन्य ICT प्लेटफार्मों और सुविधाओं को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत ERP सिस्टम लागू करने के लिए पूंजीगत लागत की 75% (अधिकतम 1 लाख रूपये) तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ICT सुविधाओं को लागू करने के लिए पूंजीगत लागत की 75% (अधिकतम 5 लाख रूपये) तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

5.5.7 प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों, आई०टी०आई, पॉलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में Incubation Centres की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इण्डस्ट्री-एकेडेमिया-कान्टिनम पर ज़ोर दिया जाएगा। राज्य के आई०टी०आई तथा अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों, एम०एस०एम०ई० टेक्नोलॉजी केन्द्रों एवं भारत सरकार के विशिष्ट संस्थानों के साथ समन्वय करके एक तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा तथा इसके लिए एक सूचना तंत्र उद्योग एवं उद्यम निदेशालय स्तर पर विकसित किया जाएगा।

5.6 उद्योग 4.0

उद्योग 4.0 मुख्यत: इंटरनेट आफ थिंग्स (**Iot**), बाधा रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियों और 3डी प्रिंटिग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अधिक

डिजिटलीकरण तथा उत्पादों, वैल्यू चेन, व्यापार माडल को एक-दूसरे से अधिकाधिक जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य निम्नानुसार होगा :-

5.6.1.1 प्रदेश के focus sectors को ध्यान में रखते हुए उद्योग 4.0 से सम्बंधित तकनीक, उपकरण एवं मशीनों की पहचान करना।

5.6.1.2 पहचान की गई तकनीक, उपकरण एवं मशीनों का प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के बीच बढ़ावा देने के लिए रणनीति एवं कार्ययोजना बनाना।

5.6.2 उद्योग 4.0 वर्किंग ग्रुप में विशेषत: सेक्टर एवं तकनीकी विशेषज्ञ रहेंगें।

5.7 विपणन

5.7.1 प्रदेश में निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के अनुरूप विपणन सामर्थ्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस क्षेत्र की कमी को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम द्वारा विकसित ई-कॉमर्स पोर्टल को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे परम्परागत शिल्पकारों को प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा सके।

5.7.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर onboard होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति विभिन्न एम०डी०ए० योजनाओं के अन्तर्गत की जाएगी।

5.7.3 राज्य के चयनित शहरों में एक्सपोर्ट मार्ट की स्थापना की जाएगी।

5.7.4 उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

5.7.5 उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे वह राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन करते हुए हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों की सहभागिता को प्रोत्साहित कर सके।

5.8 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की विद्यमान इकाइयों के विस्तार एवं उन्नयन सहयोग हेतु महत्वपूर्ण कदम

5.8.1 विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार FAR बढ़ाया जाएगा। इसके उपयोग से विद्यमान इकाईयां अपना विस्तार कर सकेंगी।

5.8.2 क्रियाशील सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को विस्तार एवं विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन नई इकाइयों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। "विस्तार/विविधीकरण" का तात्पर्य ऐसी मौजूदा इकाइयों से है जो नए पूंजी निवेश यथा- विस्तारीकरण में वांछित नए यंत्र/संयंत्रो का क्रय, नयी उत्पादन श्रंखला की स्थापना एवं उत्पादन श्रंखला हेतु वांछित भूमि/भवन इत्यादि के माध्यम से अपने ग्रॉस ब्लॉक (gross block) में कम से कम 25% की वृद्धि के साथसाथ उत्पादान- क्षमता में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि भी करेंगी।

5.8.3 भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए चलायी जा रही क्लस्टर विकास योजनाओं का लाभ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिलाने के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक क्लस्टर विकसित किये जायेंगे एवं कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाये जायेंगे।

5.8.4 स्थानीय निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का उचित मूल्य संवर्द्धन करने तथा पैकेजिंग आदि के लिये मण्डी परिषद द्वारा निधि की उपलब्धता को देखते हुये एवं मण्डी समिति की आवश्यकताओं में इसकी उपयोगिता का आकलन करते हुये मण्डी स्थलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किये जायेंगे। इस योजना को अटल इनोवेशन मिशन से जोड़ा जाएगा।

5.8.5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार द्वारा देश में उत्पादित उत्पादों के प्रोत्साहन के अनुरूप प्रदेश में स्थित एवं स्थापित इकाइयों से क्रय योजना को और सशक्त किया जायेगा।

5.8.6 रुग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों / उद्यमों में कम प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के कारण व प्रबंधकीय, तकनीकी तथा अन्य कारकों के फलस्वरूप रूग्णता की स्थिति उत्पन्न होती है। रूग्ण इकाइयों / उद्यमों के पुनर्वासन के सम्बंध में भारत सरकार की योजना को सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों से समन्वय करते हुये प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

5.8.7 उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिये वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल एवं कॉल सेन्टर की प्रणाली को और सशक्त किया जायेगा।

5.9 पर्यावरणीय आधारभूत संरचना और पहल के लिए प्रोत्साहन

5.9.1 सामूहिक पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधाएं जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), मौजूदा CETPs का संवर्द्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, कॉमन स्प्रे ड्रायर, बायो डिग्रेडेबल्स इत्यादि पर परियोजना व्यय के 50% (अधिकतम 10 करोड़ रूपये) तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हलाँकि इस हेतु भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी कुल सहायता निर्धारित पूंजी निवेश के 75% से अधिक नहीं होगी। यह सुविधाएं सामान्य सुविधा केंद्र की तर्ज पर विकसित की जायेंगीं।

5.9.2 शून्य तरल निर्वहन (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित) के माध्यम से कम से कम 50% अपशिष्ट वसूली करने वाले उद्योगों को प्रासंगिक उपकरणों की लागत पर 50% (अधिकतम 75 लाख रूपये) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

5.9.3 सामूहिक (न्यूनतम 10 MSME द्वारा गठित) बॉयलर परियोजना स्थापित करने हेतु SPV को परियोजना लागत की 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता ठोस ईंधन के मामले में 35% और स्वच्छ ईंधन के मामले में 50% होगी। वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 50 लाख रूपये होगी। यह सुविधा सामान्य सुविधा केंद्र की तर्ज पर विकसित की जाएगीं ।

5.9.4 क्लीन उत्पादन तकनीक जैसे कच्चे माल का प्रतिस्थापन और अनुकूलन, पानी की खपत में कमी, ऊर्जा की खपत में कमी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अदि को बढ़ावा देने के लिए सम्बंधित प्लांट एवं मशीनरी पर किये गए व्यय की 40% (अधिकतम 20 लाख रुपये) तक प्रर्तिपूर्ति की जाएगी ।

5.9.5 प्रदेश में पहले से स्थापित एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को "ग्रीन प्रैक्टिसेस एंड एन्वायर्नमेंटल ऑडिट टू एमएसएमई" यथा- ऊर्जा एवं जल संरक्षण इत्यादि से संबंधित आडिट को प्रोत्साहित करने के लिये ऑडिट सेवाओं की फीस की 75% (अधिकतम 50,000 रुपये) तक प्रर्तिपूर्ति की जाएगी तथा ऑडिटर द्वारा अनुसंशित संबंधित उपकरण खरीदने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 20 लाख) तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.9.6 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लिए परामर्श शुल्क की 50% (अधिकतम 2.5 लाख रूपये) तक प्रर्तिपूर्ति की जाएगी।

5.9.7 पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला/पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किये गए व्यय की 50% (अधिकतम 10 लाख रूपये) तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.9.8 पूर्व से स्थापित औद्योगिक इकाईयों को ही प्रदूषण नियन्त्रण उपायों हेतु प्रस्तर सं0- 5.9 में वर्णित लाभ देय होंगे। नई स्थापित होने वाली इकाईयों द्वारा यदि स्थापना के समय ही प्रदूषण नियन्त्रण उपायों हेतु प्रस्तर सं0-4 के प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण भाग के अंतर्गत वर्णित प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के लिए संयंत्र इत्यादि लगाया जाता है तो ऐसी इकाईयों को प्रस्तर सं0-5.3.4 में वर्णित निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्तीय सहायता का क्रियान्वयन

6.1 इस नीति से सम्बंधित सभी वित्तीय सहायताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की स्थिति भी आवेदक ऑनलाइन जाँच सकेगा। इस हेतु निदेशालय की वेबसाइट को यथा- आवश्यकता परिवर्तित किया जायेगा।

6.2 नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाइयों को सम्बन्धित जिले के उपायुक्त को आवेदन करना होगा। उपायुक्त द्वारा तत्परतापूर्वक परीक्षण कर अपनी संस्तुति संयुक्त आयुक्त उद्योग को अग्रसारित की जाएगी। सभी आवेदनों का अनुमोदन मंडलीय संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। मंडल के जनपदों के उपायुक्त उद्योग समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त विद्युत, पर्यावरण, श्रम विभाग के मंडलीय अधिकारी तथा जनपदों के अग्रणी बैंक प्रबंधक समिति के सदस्य होंगे। आवश्यकतानुसार अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी भी सदस्य के रूप में आमंत्रित किये जा सकते हैं।

6.3 आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया जाएगा जिसमें बैंक, पर्यावरण, विद्युत, श्रम, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, यू०पी०एफ०सी० आदि विभागों के प्रदेश स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा यथा-आवश्यकता अन्य विशेषज्ञों/ विभागों को भी समिति में नामित किया जा सकेगा, जिसका दायित्व प्राप्त वित्तीय दावों का तकनीकी परीक्षण करते हुए लाभ अनुमन्य किया जाएगा एवं शासन से तदनुसार बजट प्राप्त करना होगा।

6.4 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसका दायित्व प्रगति समीक्षा एवं अंतर-विभागीय समन्वय का होगा। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों को अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव एम०एस०एम०ई० द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर इनका निराकरण कराया जायेगा।

7. अन्य

7.1 यह नीति प्रख्यापित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

7.2 यह नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 5 वर्ष अथवा सरकार द्वारा नयी नीति लागू करने तक प्रभावी रहेगी।

7.3 इस नीति के अंतर्गत पात्र निवेश की अवधि की गणना नीति के प्रख्यापन की तिथि के बाद से की जायेगी। नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म इकाइयों के पात्र निवेश की अवधि आवेदन करने के 02 वर्ष तक होगी। यह अवधि लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु क्रमश: 03 एवं 04 वर्ष होगी। पात्र निवेश की अवधि में ही इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। किसी नयी इकाई हेतु नीति के प्रख्यापन तिथि से पूर्व किसी भूमि में किया गया निवेश तथा आंशिक निर्माण की लागत को परियोजना हेतु 'पात्र स्थायी पूंजी निवेश' में सम्मिलित नहीं माना जायेगा। नीति की प्रभावी अवधि में किये गये निवेश को ही 'पात्र स्थायी पूंजी निवेश' के रूप में माना जायेगा।

7.4 प्रदेश में विभिन्न नीतियों जैसे उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, जैव ऊर्जा नीति, आई. टी. नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति आदि नीतियां प्रभावी है। एक ही मद में विभिन्न नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं में से एक उद्यम को एक ही नीति के अंतर्गत सुविधा अनुमन्य होगी, जिससे कि एक ही प्रकार के लाभ की द्विरावृत्ति न हो सके।

7.5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग होगा।

7.6 नीति के अतर्गत प्रस्तावित प्राविधान, संबंधित संगत अधिनियम/शासनादेश/नियम आदि के अनुरूप होंगे। इस नीति के कियान्वयन के लिये संबंधित विभागों द्वारा सुसंगत शासनादेश निर्गत किये जायेंगे।

7.7 यह नीति निम्नलिखित निवेश प्रस्तावों पर लागू नहीं होगी :-

7.8.1 तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, इत्यादि;

7.8.2 अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद आदि;

7.8.3 पटाखों का विनिर्माण;

7.8.4 प्लास्टिक कैरीबैग(40 माइक्रॉन से कम) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग;

7.8.5 समय-समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।

a~/

8. उपर्युक्त उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिमार्जन/परिवर्धन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

9. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त नीति का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
28.9.2022
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 33/2022/393(1)/18-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
8- समस्त संयुक्त आयुक्त, आयुक्त, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनमोल सिंह)
उप सचिव।